खेतीहर मजदूरों की समस्याएं

1148. **चौधरी हरमोहन सिंह :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेतिहर मजदूरों की समस्याओं की जांच करने हेतु एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया है ;

(ख) क्या समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सिफारिशों को लागू करवाने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह चटोवार) :

(क) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय विधान के प्रश्न पर विचार करने के लिए राज्य के श्रम मंत्रियों की एक समिति गठित की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रमिकों संबंधी समिति

1149. **श्री ईश दत्त यादव :**
श्री केवलाल बिश्वास :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों को पेश आ रही कठिनाइयों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या उपर्युक्त समिति ने अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) इस प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चटोवार) :

(क) से (घ) बाल श्रम से संबंधित 16 सदस्यीय गुरूपदस्वामी समिति का गठन बालकों के रोजगार की प्रवृत्ति के कारणों और उस रोजगार से उत्पन्न समस्याओं की विस्तार से जांच करने के लिए 1979 में किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1979 में प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति की स्वीकार की गई सिफारिशों के अनुसरण में उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :—

(1) श्रम मंत्रालय में एक बाल श्रम सैल का गठन किया गया है।

(2) बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

(3) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :—

(i) कतिपय विशिष्ट व्यवसायों और संक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध किया किया है।

(ii) उन नियोजनों, जिसमें बालकों के कार्य करने को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है में बालकों के कार्य/कार्य परिस्थिति की दशाओं को विनियमित करना ;

(iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 में "बालक" की परिभाषा (वह व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है) में एक रूपता लाना ;

(iv) किसी भी व्यक्ति को किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में इस अधिनियम

के अन्तर्गत किए गए अपराध के बारे में शिकायत दायर करने का अधिकार प्रदान करना ;

(v) बाल श्रम से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कठोर दांडिक प्रावधान किए गए हैं। ये शास्तियां कारखाना अधिनियम, 1948 खान अधिनियम, 1950 मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम 1958 और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत रोजगार में प्रवेश की न्यूनतम आयु के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में लागू होंगी ।

(4) भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत बाल और महिला कर्मकारों से संबंधित कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्यों में प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है ।

(5) कामकाजी बालकों की आवश्यकताओं के संबंध में व्यवसाय संघों और नियोजक संगठनों से उनके सहयोग की छानबीन के लिए बातचीत शुरू की गई है।

(6) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों का कड़ाई से प्रवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय समय पर कहा जाता है ।

(7) शिक्षा विभाग ने स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से अनेक अनौपचारिक केन्द्रों की स्थापना की है ।

(8) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति—1987 बनाते समय समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया गया।

(9) बाल श्रमिकों के लाभार्थ कार्योन्मुख परियोजना लेने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

STATEMENT BY MINISTER

(10) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची में जिनमें बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है, शामिल करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए "बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति" का गठन किया गया है।

12-00 Noon

Correcting the reply given in the Rajya Sabha on the 10th August, 1992 to Unstarred Question 3538 regarding Educational Qualification for appointment as Moulvis in Armed Forces.

(The Deputy Chairman in the Chair)

THE MINSTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MTNISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : Sir, I beg to lay on the Table a Statement (in English and Hindi) correcting the reply given in the Rajya Sabha on the 10th August, 1992 to Unstarred Question 3538 regarding educational qualification for appointment as Moulvis in armed forces. [Placed in Library *See* No. LT-2790/92]

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Report and Accounts (1991-92) of the Aeronautical Development Agency, Banga lore and related papers.

II. Notification of the Ministry of De fence.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : Madam, I, lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers :—

(i) Seventh Annual Report and Accounts of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 1991-92, together with the Auditors' Report on the Accounts.